कार्यालय, प्राचार्य महर्षि वेदव्यास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
भखारा, जिला धमतरी (छ.ग.)
E-mail Id- gcbhakhara@yahoo.com, Website- www.govtcollegebhakhara.in

दिनांकः–30.07.2025

// छात्रवृत्ति संबंधी आवश्यक सूचना //

कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास, जिला धमतरी (छात्रवृत्ति शाखा) से प्राप्त निर्देशानुसार अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है,कि सत्र 2025–26 के छात्रवृत्ति फार्म ऑनलाईन (नवीन/नवीनीकरण) हेतु ऑनलाईन पोर्टल प्रारंभ कर दी गई है। महाविद्यालय में प्रवेशित छात्र–छात्राऐं दिनांक 04.08.2025 तक छात्रवृत्ति फार्म ऑनलाईन करा लेवें। ऑनलाईन कराने के पूर्व निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से तैयार कर लेवें –

01.आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र ऑनलाईन माध्यम से बना हुआ होना आवश्यक है।

02.जिन छात्र–छात्राओं के आधार नंबर में मोबाईल नंबर लिंक नहीं हुआ है वे तत्काल आधार सेवा केन्द्र जाकर अपना आधार मोबाईल नंबर से लिंक करा लेवें

03.आपका आधार आपके बैंक खाते से सिडिंग होना अनिवार्य है। आधार बैंक सिडिंग का स्टेटस– **https://myaadhaar.uidai.gov.in/** में जाकर चेक कर सकते है।

टीपः– अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के छात्र–छात्राओं हेतु OTR रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। OTR रजिस्ट्रेशन हेतु विद्यार्थी अपना आधार कार्ड में मोबाईन नंबर रजिस्टर्ड करा लेवें। OTR रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया महाविद्यालय के वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

30/7/2025
छात्रवृत्ति प्रभारी
महर्षि वेद व्यास शास.स्नात.महा.भखारा
जिला–धमतरी (छ.ग.)

30-7-25
प्राचार्य
महर्षि वेद व्यास शास.स्नात.महा.भखारा
जिला–धमतरी (छ.ग.)

कार्यालय, प्राचार्य महर्षि वेदव्यास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भखारा, जिला धमतरी (छ.ग.)

दिनांक : 30.07.2025

// छात्रवृत्ति संबंधी आवश्यक सूचना //

सत्र 2025–26 में प्रवेशित समस्त छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है, कि राज्य कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्रानुसार इस वर्ष छात्रवृत्ति फार्म हेतु अनिवार्य दस्तावेज आय,जाति एवं निवास प्रमाण पत्र ऑनलाईन माध्यम से तहसीलदार द्वारा सत्यापित **(Digital Signature)** होना अनिवार्य है। हस्तलिखित प्रमाण पत्र छात्रवृत्ति फार्म के साथ स्वीकार नहीं किया जायेगा। छात्र–छात्रा का नाम उनके मार्कशीट, बैंक पास–बुक एवं आधार कार्ड में एक जैसा होना अनिवार्य है। नाम अलग–अलग होने की स्थिति में छात्र–छात्रा शीघ्र अपना बैंक पास–बुक एवं आधार कार्ड मार्कशीट के अनुसार सुधार करा लेवें। नहीं तो छात्रवृत्ति फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी और आपको छात्रवृत्ति से वंचित भी होना पड़ सकता है।

30/7/25

छात्रवृत्ति प्रभारी

छात्रवृत्ति प्रभारी
महर्षि वेदव्यास शास. स्नात. महा. भखारा
जिला–धमतरी (छ.ग.)

30-7-25

प्राचार्य
महर्षि वेदव्यास शास.स्नात. महा.भखारा
जिला – धमतरी (छ.ग.)

प्राचार्य
महर्षि वेद व्यास शास. स्नात. महा.
भखारा, जिला-धमतरी (छ.ग.)